न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 113/2015

दायर दिनांक :– 09.07.2015

निर्णय दिनांक :– 25.03.2022

उनवान

01. इन्द्राज पुत्र नत्थूराम जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 (.....मृतक)

1/1 पतासी पुत्री इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/2 ग्यारसाराम पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/3 पांचूराम पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/4 संतरा पुत्री इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/5 कैलाश पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/6 पतराम पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/7 रत्तीराम पुत्र केहरसिंह पौत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/8 नरेश पुत्री केहरसिंह पौत्री इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/9 रामवतार पुत्र केहरसिंह पौत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/10 नृसिंह पुत्र केहरसिंह पौत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/11 चिडिया बेवा केहरसिंह पुत्रवधु इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/12 भम्भो पुत्री गिंदो दोहिती इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/13 रेशम पुत्री गिंदो दोहिती इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/14 चिडिया पुत्री गिंदो दोहिती इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/15 मंजू पुत्री गिंदो दोहिती इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/16 धर्मपाल पुत्र गिंदो दोहिता इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/17 अनिता पुत्री विश्राम पौत्री इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/18 सुनीता पुत्री विश्राम पौत्री इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/19 सुनील पुत्र विश्राम पौत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/20 आरती पुत्री विश्राम पौत्री इन्द्राज नाबालिग जरिये माता बिमला देवी पत्नी विश्राम जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

1/21 बिमला देवी बेवा पत्नी विश्राम पुत्रवधु इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर

02. रामस्वरूप पुत्र नत्थूराम जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

03. ख्यालीराम पुत्र नत्थूराम जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

04. बन्शी पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

05. देवकरण पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

06. छीतर पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 (.....मृतक)

6/1 रामसिंह पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

6/2 लालाराम पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

6/3 धोली पुत्री छीतर जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

6/4 कमोद पुत्री छीतर जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

6/5 केसरी देवी पत्नी छीतर जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

07. जयमल पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

08. बीरबल पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

09. पूर्णमल पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

——वादीगण

बनाम

01. बुधराम पुत्र गाडाराम जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

02. हजारी पुत्र गाडाराम जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

03. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बहैसियत लैण्डहोल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

04. श्रीमान उप पंजीयक महोदय बानसूर जिला अलवर राज0

05. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैक शाखा बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर राज0

——असल प्रतिवादीगण

06. रामसिंह पुत्र धन्सीराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

07. पतराम पुत्र धन्सीराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

08. रामकरण पुत्र धन्सीराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

09. दीनदयाल पुत्र धन्सीराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

— तरतीबी प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

वाद इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राजात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागणः–

01. वादीगणः– श्री अनिल कुमार यादव एड0

02. प्रतिवादीगणः– ब्रहमप्रकाश यादव एड0

निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1.78 हैक्टेयर, 327 रकबा 1.77 हैक्टेयर वाके मौजा बसई चौहान तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित है उपरोक्त आराजी के भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2060 में साबिक खसरा नम्बर 293 रकबा 7 बीघा 01 बिस्वा व 294 रकबा 07 बीघा से कायम किये गये है। उपरोक्त साबिक नम्बर गत साबिक नम्बर 234 मिन रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा गत साबिक खसरा नम्बर 234 मिन रकबा 7 बीघा से कायम किये गये है। विवादित आराजी मिन वादीगण की पैतृक आराजी है जिस पर सम्वत 2011 से पहले वादीगण के बुजुर्ग नत्थू, घीसा पिसरान जोखी खातेदार काश्तकार थे व उनके फोत होने के बाद मिन वादीगण काबिज होकर काश्तकार है काबिज है काश्त कर रखी है। लेकिन सैटलमैन्ट विभाग सम्वत 2021 ने विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के बुजुर्ग का नाम 1/4 हिस्सा मे दर्ज कर दिया जो खिलाफ कानून है सैटलमैन्ट विभाग विवादित आराजी की जमाबन्दी सम्वत 2021 में नत्थू, घीसा पिसरान जोखी 1/4 हिस्सा गाडाराम पुत्र शिवनारायण 1/4 हिस्सा व नारायण, अर्जुन पिसरान डूँगा 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि सैटलमैन्ट विभाग को नत्थू, घीसा पिसरान जोखी 1/2 हिस्सा व नारायण अर्जुन पिसरान डूँगा 1/2 हिस्सा दर्ज करना चाहिए था चूँकि मिन वादी के 1/4 हिस्सा पर प्रतिवादीगण का अमल करने से वादीगण के अधिकारों का हनन हुआ है इस गलत अंकन को दुरूस्त कराने का वादीगण को अधिकार हांसिल है। दावा दुरूस्ती करना लाजिम आया है। तथा विवादित आराजी में वादीगण संख्या 01 लगायत 03 को 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 04 लगायत 09 को 1/4 हिस्सा विरासत में मिला है तथा वादीगण संख्या 04 लगायत 09 ने 1/4 हिस्सा नारायण पुत्र डूँगा से जर्ये बैयनामा खरीद किया है। इसलिए वादी संख्या 04 लगायत 09 को कुल 1/2 हिस्सा के तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 का 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है इसी तरह से मौके पर काश्त कर रखी है। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 के पिता गाडा पुत्र शिवनारायण ने हम लोगो को नुकसान पहुँचाने की नियत से सैटलमैन्ट विभाग 2021 मे राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर उक्त विवादित आराजी 1/4 हिस्सा पर स्वयं का नाम खातेदारी का अंकन करा लिया जबकि कानूनन

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

बन्दोबस्त विभाग को प्रतिवादीगण के बुजुर्ग के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधिकार नहीं था। चूँकि अब प्रतिवादीगण का पिता फोत हो चुका है तो विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा वादीगण संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की माता रमली बेवा गाडा के नाम चल रहा है अब प्रतिवादी की माता रमली देवी भी फौत हो चुकी है इस वजह से दावा में उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसके जायज वारीसान प्रतिवादी संख्या 01 व 02 है। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है यह खातेदार होने की वजह से रफाय उजात तरतीबी प्रतिवादी बनाया गया है। विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा पर बन्दोबस्त विभाग सम्वत 2021 को प्रतिवादी के बुजुर्ग को राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज करने का अधिकार नहीं था चूँकि मिन वादीगण के अधिकार कानून सुरक्षित है और अपने अधिकारो की रक्षार्थ हेतु दावा इस्तकरारहक दुरूस्ती पेश करना लाजिम आया है विवादित आराजी पर वादीगण संख्या 01 लगायत 03, 1/4 हिस्से पर वादी संख्या 04 लगायत 09, 1/2 हिस्से पर एंव तरतीबी प्रतिवादीगण 1/4 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी के ना तो कभी खातेदार रहे है और ना ही कभी काबिज काश्त रहे है विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कभी भी कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है। प्रतिवादीगण के बुजुर्ग के नाम का अमल बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत 2021 में खिलाफ कानून खिलाफ कब्जा मौका विवादित आराजी के 1/4 हिस्से पर दर्ज कर दिया जो कि वादीगण के हक हकूको के खिलाफ है। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। विवादित आराजी में वादीगण संख्या 01 लगायत 03 को 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 04 लगायत 09 को 1/4 हिस्सा विरासत में मिला है तथा वादीगण संख्या 04 लगायत 09 ने 1/4 हिस्सा नारायण पुत्र डूँगा से खरीद किया है इसलिए वादी संख्या 04 लगायत 09 को कुल 1/2 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है व तरतीबी प्रतिवादी 06 लगायत 09 का 1/4 हिस्सा है। को यथावत रखा जावे।

वाद पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की और से जबाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 की और से कोई भी उपस्थित नहीं आया इसलिए दिनांक 21.02.2017 को इसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 की और से इकबाल जबाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने अपना जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र असत्य है अस्वीकार है बल्कि वास्तविकता यह है कि वादीगण व हम प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 एवं नारायण, अर्जुन पीसरान डूँगा का एक ही वंश व खानदान रहा है इस प्रकार हम प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 व वादीगण संख्या 01 लगायत 09 एवं उक्त कथित नारायण व अर्जुन पुत्रान डूँगा का एक ही वंश व मुश्तर्का खानदान रहा है जिसमें टोडा की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र बिडदा नाऔलाद बिला सन्तान फोत हो गया व उसके पश्चात टोडा के दो पुत्र जोखी व शिवनारायण ही जिवित रहे जिनमें जोखी के दो पुत्र नत्थू व घीसा हुये तथा शिवनारायण के एक पुत्र गाहडा

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

हुआ तथा डूँगा के दो पुत्र नारायण व अर्जुन हुये जिनका कुल जायदाद व कृषि भूमि में 1/4 भाग हम प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पिता गाहडा का हुआ तथा शेष 1/2 भाग उक्त नारायण, अर्जुन पुत्रान डूँगा का हुआ और इसी प्रकार कुल कृषि भूमि में जो कि ग्राम बसई चौहान में स्थित थी में उक्त नत्थू, घीसा व उसके वारिसान वादीगण संख्या 01 लगायत 09 का कुल 1/4 हिस्सा व उक्त गाहडा के पुत्र बुधराम व हजारी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का सम्भाग में 1/4 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्से में नारायण, अर्जुन पुत्रान डूँगा हुये जो इसी प्रकार हम प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 अपने बुजुर्गो के जीवनकाल से ही जब से सुरत सम्भाली है तब से मौके पर काबिज होकर काश्त करते रहे है व आज दिन भी विवादित भूमि सहित अन्य समस्त कृषि भूमि में जो कि बसई चौहान में स्थित है काबिज काश्त व खातेदार काश्तकार है तथा इसी प्रकार इन्द्राजात बन्दोबस्त साबिक सम्वत 2021 के मुताबिक कब्जा मौका सही किया है तथा उसके आधार पर किया गया इन्द्राजात बहक हम प्रतिवादीगण भी सही है। किन्तु हम फरीकेन (वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02) के खानदान में सबसे ज्येष्ठ होने के नाते कर्ता खानदान वादीगण के पिता उक्त नत्थू था जिसने अपने जीवनकाल में यदि कोई कागजात माल में अपने व अपने भाई घीसा का कही कोई नाम दर्ज करवा लिया है तो वह इन्द्राजात कागजात माल हम प्रतिवादीगण के हकुको के प्रति बातिल व बेअसर तथा नाकाबिले पाबन्दी हम प्रतिवादीगण है। विवादित आराजी भूमि में हम प्रतिवादीगण का बहिस्सा बराबर बराबर में 1/4 हिस्सा है जो अपने पूर्वजो के जीवनकाल से ही अर्से दराज से इसी प्रकार चला आ रहा है व 1/4 हिस्से में वादीगण रहे है। विवादित भूमि में हम प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 कदीम से अपने पूर्वजो के समय से ही जब से सुरत सम्भाली है तब से अपने उक्त कथित 1/4 हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और आज दिन भी मौके पर इसी प्रकार काबिज काश्त व खातेदार काश्तकार है तथा इन्द्राज बन्दोबस्त साबिक सम्वत 2021 व उसके आधार पर बहक हम प्रतिवादीगण किया गया इन्द्राजात कागजात माल मुताबिक कब्जा मौका व हिस्से अनुसार सहीं है हम प्रतिवादीगण की माताजी मु0 रमली का देहान्त हो गया है जिसके काबिज जायदाद जायज वारिसान हम प्रतिवादीगण है। वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावें।

वादी के वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के जबाब दावे के मुताबिक निम्न तनकीयात कायम की गई।

01. आया हाल आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1.78 हैक्टेयर, 327 रकबा 1.77 हैक्टेयर वाके मौजा बसई चौहान तहसील बानसूर मे दर्ज खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा रमली स्त्री गाडा हिस्सा 1/4 को कलमजन करवाकर साबिक राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादीगण संख्या 01 लगायत 03 को 1/8 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा वादी संख्या 04 लगायत 09 को 3/8 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डीक्री जारी करवाने के अधिकारी है ?

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

.....वादीगण

02. आया वादीगण मुताबिक घोषणा विवादित आराजी की बाबत असल प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डीक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

03. आया हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राज बन्दोबस्त विभाग सम्वत 2021 ने कब्जा मौका व हिस्से अनुसार सहीं दर्ज किया है वादीगण गैर काबिज है जिसका वाद पर क्या असर होगा ?

.....प्रतिवादीगण

04. आया वाद वादीगण बेरून मियाद है।

.....प्रतिवादीगण

05. अनुतोष ?

वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रर्दश 01 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 वाके मौजा डागीवास, प्रर्दश 02 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 वाके मौजा क्यारा तह0 मुण्डावर, प्रर्दश 03 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 वाके ग्राम बधीन तह0 मुण्डावर, प्रर्दश 04 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 वाके मौजा बसई चौहान, प्रर्दश 05 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060, प्रर्दश 06 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2021, प्रर्दश 07 जमाबन्दी सम्वत 2021 (मिसल), प्रर्दश 08 जमाबन्दी सम्वत 2033, प्रर्दश 09 जमाबन्दी सम्वत 2042–45, प्रर्दश 10 जमाबन्दी सम्वत 2013, प्रर्दश 11 जमाबन्दी सम्वत 2009, प्रर्दश 12 बैयनामा वर्ष 08.08.1983 दस्तोजात प्रस्तुत किये है। तथा मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी जयमल पी.डब्लू 01 व ग्वाह पी.डब्लू 02 समयसिंह के शपथ पत्र पेश किये गये है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जबाब दावा के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य में प्रर्दश 01 वंशावली, प्रर्दश 02 नकल जमाबन्दी सम्वत 2001, प्रर्दश 03 जमाबन्दी सम्वत 2071, प्रर्दश 04 नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 पेश किये गये है। तथा मौखिक साक्ष्य में स्वयं प्रतिवादी हजारी डी. डब्लू 01 व डी.डब्लू 02 महावीर के शपथ पत्र पेश किये गये है।

वकुलाय बहस सुनी गयी।

वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने वाद पत्र के तथ्यो को दौराते हुये निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बध व सरोकार नहीं है। उपरोक्त आराजी साबिक राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण के बुजुर्गान के 1/2 भाग की खातेदारी की आराजी है। जिसकी ताईद जमाबन्दी सम्वत 2013 से बैखुबी साबित है। जमाबन्दी सम्वत 2013 में उपरोक्त आराजी के साबिक खसरा

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

नम्बर 234 मिन रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा के खातेदार वादीगण के बुर्जुग नत्थू, घीसा पिसरान जोखी रहे है। प्रतिवादी के बुजुर्गान का उपरोक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई खातेदारी का अंकन नहीं है। सम्वत 2021 के कर्मचारियों को मातृ साबिक रिकार्ड के आधार पर सम्वत 2021 में इन्द्राजात करने चाहिये थे। लेकिन उन्होने बिना किसी आदेश के प्रतिवादीगण के बुर्जुग गाडा को 1/4 भाग का गलत खातेदार दर्ज किया गया है। जिसको वादीगण कलमजन करवाने के अधिकारी है। वादीगण की ओर से मौखिक बहस के अलावा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। साथ ही वादीगण के अधिवक्ता की और से निवेदन किया है कि बन्दोबस्त सम्वत 2021 के कर्मचारियो ने प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गाडा को 1/4 भाग का गलत खातेदार दर्ज किया गया है जिसको वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है राजस्व रिकार्ड में भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान पूर्व राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रवृष्टियों को ही दौहराना होता है। जब तक की सक्षम न्यायालय से कोई आदेश ना हो उक्त प्रकरण में भू–प्रबन्ध सम्वत 2021 के कर्मचारियों ने उपरोक्त आराजी में प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गाडा को 1/4 भाग का खातेदार बिना किसी न्यायालय आदेश के दर्ज किया गया है। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग की गलत, गैर कानूनी, तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गई कार्यवाहीयो को नियमित वाद में चुनोती दी जाकर दुरूस्त करवायी जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में भी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गाडा के नाम 1/4 भाग की खातेदारी भू–प्रबन्ध सम्वत 2021 द्वारा गलत रूप से दर्ज की गई है। जिसको विभिन्न न्यायिक सिद्वान्तो की रोशन में मुताबिक साबिक राजस्व रिकार्ड कलमजन किया जावें। नीचे वर्णित न्यायिक सिद्वान्तो मे भी यह दर्शित किया गया है। कि भू–प्रबन्ध विभाग को इन्द्राजात परिर्वतित करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे जिसके समर्थन में निम्नाकित न्यायिक नजिरे पेश है।

01. Rakalyon & ors v/s kalu & ors RRT 2020 (1) Pag 37

02. Charan singh & ors. v/s khubi & ors RRT 2015 (2) Pag 1214

03. Manni & ors. v/s Heera & ors. RRT 2021 (2) Pag 1110

04. Ganesh v/s State RRT 2021 (2) Pag 976

05. Harinaryan & anr. v/s Bhagirath & ors RRD 2012 Pag 589

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया है। कि उपरोक्त आराजी हमारी बुजुर्गानी आराजी है। मुताबिक सजरा हम टोडा के विधिक वारिसान है। इसी के अनुसार उपरोक्त आराजी में हमारा 1/4 हिस्सा नियत है। भू–प्रबन्ध सम्वत 2021 में मुताबिक कब्जा मौका हमारे बुजुर्ग गाडा को 1/4 भाग का सहीं खातेदार दर्ज किया है। मुताबिक सजरा उपरोक्त आराजी हमारी बुजुर्गानी आराजी है। लेकिन हमारे खानदान में सबसे बडा कर्ता खानदान होने के नाते वादीगण के पिता नत्थू थे। जिसने अपने जीवन काल में

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

कागजात माल में अपने व अपने भाई घीसा का कही कोई नाम दर्ज करवा लिया है तो वह गलत दर्ज करवा लिया है। जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही खानदान के सदस्य है। इस प्रकार हम प्रतिवादीगण का उपरोक्त आराजी में 1/4 हिस्सा नियत है। जो सहीं है। वादीगण हमारा नाम कलमजन करवाने के अधिकारी नहीं है। वादी का वाद खारीज फरमाया जावें।

वकुलाय की बहस पर गौर व मनन किया पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के उपरान्त उक्त प्रकरण का निस्तारण तनकीवार निम्न प्रकार किया जा रहा है।

तनकी संख्या 01. आया हाल आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1.78 हैक्टेयर, 327 रकबा 1.77 हैक्टेयर वाके मौजा बसई चौहान तहसील बानसूर मे दर्ज खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा रमली स्त्री गाडा हिस्सा 1/4 को कलमजन करवाकर साबिक राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादीगण संख्या 01 लगायत 03 को 1/8 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा वादी संख्या 04 लगायत 09 को 3/8 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डीक्री जारी करवाने के अधिकारी है ?

.....वादीगण

उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण को है। वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1.78 हैक्टेयर, 327 रकबा 1.77 हैक्टेयर वाके मौजा बसई चौहान को अपनी बुजुर्गानी आराजी होना बताया है। उपरोक्त आराजी से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई सम्बध व सरोकार नहीं है। सम्वत 2021 के कर्मचारियों ने उपरोक्त आराजी में हम वादीगण के बुजुर्ग नत्थू, घीसा पिसरान जौखी के हिस्सा 1/2 में से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के बुजुर्ग गाडाराम पुत्र शिवनारायण को 1/4 भाग का गलत खातेदार दर्ज किया है। जिसको वादीगण ने दुरूस्त करवाना चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड प्रर्दश 10 का अवलोकन करने से पाया गया है। कि उपरोक्त आराजी के गत साबिक खसरा नम्बर 234 मिन रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा के खातेदार काश्तकार वादीगण के बुजुर्ग नत्थू, घीसा पिसरान जौखी दर्ज है। जिसमें प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गाडा का किसी प्रकार से कोई खातेदारी का अंकन नहीं है। ना ही जमाबन्दी सम्वत 2009 जो प्रर्दश 11 है। उसमें भी प्रतिवादी के बुजुर्ग का कोई उल्लेख नहीं है। भू–प्रबन्ध सम्वत 2021 में प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गाडा का नाम वादीगण के बुजुर्गान के साथ 1/4 भाग में अंकन हुआ है। प्रतिवादीगण के बुजुर्ग 1/4 भाग का अंकन किस आधार से किया गया है। उसका कोई उल्लेख नहीं है। ना ही प्रतिवादीगण की और से सम्वत 2021 से पूर्व का ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिसमें की उपरोक्त आराजी में प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गाडा पुत्र शिवनारायण के 1/4 भाग की खातेदारी दर्ज हो। प्रतिवादीगण की और से उपरोक्त आराजी के सम्बध में

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

प्रर्दश 01 वंशावली पेश की गई है। प्रर्दश 02 लगायत 04 जो जमाबन्दी पेश की है प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत जमाबन्दी प्रर्दश 02 लगायत 04 में वर्णित आराजी की न होकर अन्य आराजी की पेश की है। प्रतिवादीगण अपने जबाब दावे की ताईद में प्रस्तुत प्रर्दश 01 वंशावली के आधार पर उपरोक्त आराजी को बुजुर्गानी आराजी होना बताया है। जबकि बुजुर्गानी आराजी के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। जबकि वादीगण ने अपना वाद साबिक रिकार्ड के आधार पर दुरूस्ती का पेश किया है। प्रतिवादीगण साबिक रिकार्ड में अपने बुजुर्ग गाडा पुत्र शिवनारायण का नाम होना साबित नहीं कर पाये है। जबकि वादीगण की और से वाद पत्र में वर्णित आराजी के संबंध में दस्तावेज प्रर्दश 10 व 11 जो पेश किये है। जिससे स्पष्ट है। कि उपरोक्त आराजी वादीगण के बुजुर्ग नत्थू, घीसा पिसरान जौखी की आराजी रही है। प्रतिवादीगण वंशावली के आधार पर उपरोक्त आराजी में सम्वत 2021 में हुये इन्द्राजात को सहीं होना बताया गया है। जबकि वंशावली के आधार पर किसी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार प्रतिवादीगण कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण की तरफ से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू 01 जयमल तथा पी.डब्लू 02 समयसिंह के शपथ पत्र पेश किये गये है। जिनसे प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा विस्तृत जिरह की गई है। लेकिन दोनो ग्वाह अपनी जिरह में स्थर रहे है। तथा प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त होना नहीं बताया है। उपरोक्त आराजी शुरू से ही वादीगण के बुजुर्ग की आराजी होना बताया है। उपरोक्त कथनों की ताईद जमाबन्दी सम्वत 2013 से साबित है। तथा तरतीबी प्रतिवादीगण ने भी अपना इकबाल जबाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण की तरफ से ग्वाह डी.डब्लू 01 हजारी का शपथ पत्र पेश किया है। जो अपनी जिरह में विवादित आराजी के नम्बर कितनी बार बदले है बताने में असमर्थ रहा है। तथा ना ही विवादित आराजी के नये पुराने नम्बरों के बारे में बताया है। तथा जबाब दावे को भी अपने द्वारा पढना नहीं बताया है। इस प्रकार प्रतिवादी हजारी स्वयं ही उपरोक्त आराजी के खसरा नम्बर बताने गें असमर्थ रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादी का कब्जा काश्त होता तो विवादित आराजी का नम्बर अवश्य याद रखता। तथा वादीगण की और से प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश 11 को पढकर स्वीकार करके गया है कि इसमें हमारे बुजुर्ग का नाम नहीं है। प्रतिवादी की और से ग्वाह पी.डब्लू 02 महावीर भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श 10 व 11 में नत्थू, घीसा पिसरान जोखी के नाम दर्ज है यह कहना सहीं है। कि सम्वत 2013 में विवादित आराजी नत्थू, घीसा पिसराज जोखी के नाम दर्ज है हमारे बुजुर्ग गाडा के नाम दर्ज नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत ग्वाह महावीर ने भी वादीगण के दस्तावेज को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में असफल रहे है कि उपरोक्त आराजी में प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गाडा पुत्र शिवनारायण का 1/4 हिस्सा भू–प्रबन्ध सम्वत 2021 में किस प्रकार दर्ज हुआ है। जबकि वादीगण ने अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह बैखुबी साबित किया है। कि उपरोक्त आराजी वादीगण की बुजुर्गानी आराजी है। जिसमें भू–प्रबन्ध सम्वत 2021 द्वारा प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गाडा पुत्र शिवनारायण को 1/4 हिस्से का गलत खातेदार दर्ज किया है।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

इस प्रकार समस्त विवेचन के बाद तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विपक्ष में तैय की जाती है।

तनकी संख्या 02. आया वादीगण मुताबिक घोषणा विवादित आराजी की बाबत असल प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार भी वादीगण को था। वादीगण ने उपरोक्त आराजी में प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गाडा पुत्र शिवनारायण हिस्सा 1/4 जो भू–प्रबन्ध सम्वत 2021 में गलत इन्द्राजात किया गया है। उक्त गलत इन्द्राजात को कलमजन करवाना चाहा है जिसको वादीगण की और से तनकी संख्या 01 में बैखुबी साबित कर दिया है। इस प्रकार वादीगण का उपरोक्त आराजी पर कब्जा काश्त होना दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित हो चुका है। तब उपरोक्त आराजी का साबिक राजस्व रिकार्ड वादीगण के पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य से बैखूबी साबित है। ऐसी सूरत में वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मजामत न करें उसके लिये प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। तथा तनकी संख्या 02 वादीगण के पक्ष में तैय की जाती है।

तनकी संख्या 03. आया हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राज बन्दोबस्त विभाग सम्वत 2021 ने कब्जा मौका व हिस्से अनुसार सहीं दर्ज किया है वादीगण गैर काबिज है जिसका वाद पर क्या असर होगा ?

.....प्रतिवादीगण

उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण की और से अपने जबाब दावे में मूल रूप से यही निवेदन किया है कि वादीगण व हम प्रतिवादीगण व उक्त कथित नारायण, अर्जुन पुत्रान डूगा एक ही वंश व खानदान के है। जैसा की सजरा से स्पष्ट है। जिस सजरा (वंशावली) के अनुसार विवादित आराजी सहित अन्य ग्राम बसई चौहान में स्थित समस्त आराजीयात हम प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का बैय हिस्सा बराबर में 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 01 लगायत 09 का हिस्सा 1/4 व उक्त कथित नारायण, अर्जुन पुत्र डूगा का 1/2 हिस्सा रहा है। इसी भॉती बन्दोबस्त विभाग ने भी मुताबिक कब्जा मौका व हिस्सेजात के हमारे बुजुर्ग का नाम सहीं इन्द्राजात कागजात माल में किया गया है। इसके बावजूद भी यदि हम प्रतिवादीगण व वादीगण के हिन्दू मुश्तर्का खानदान में सबसे बडा खानदान वादीगण का पिता नत्थू होने से यदि उसने कोई कागजात माल में स्वयं अपने या अपने भाई घीसा के नाम का कोई इन्द्राजात करवा भी दिया है। तो वह हम प्रतिवादीगण के हकूको के प्रति बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी हम प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

है। प्रतिवादीगण की तरफ से अपने जबाब दावे के समर्थन में जो दस्तावेज पेश कर प्रर्दश करवाये है। उनमें प्रर्दश 01 वंशावली है तथा प्रर्दश 02 लगायत 04 जो जमाबन्दी पेश की है। वो जमाबन्दी वाद पत्र में वर्णित आराजी की ना होकर अन्य आराजीयात की है। उपरोक्त जमाबन्दीयात में वादीगण के बुजुर्गान के साथ प्रतिवादीगण के बुजुर्ग के नाम की खातेदारी सामलात में दर्ज है। जिनको आधार मानकर वाद पत्र में वर्णित आराजी में मुताबिक वंशावली खातेदारी अधिकार सम्वत 2021 में प्रतिवादीगण ने अपने नाम का इन्द्राजात सहीं होना बताया है। जबकि प्रतिवादीगण की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य में सम्वत 2021 से पूर्व की एसी कोई जमाबन्दी पेश नहीं की गई है। जिसमें यह अंकन हो की उपरोक्त आराजी में प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गाडा पुत्र शिवनारायण के नाम की खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादीगण की और से मौखिक साक्ष्य में ग्वाह डी.डब्लू 01 हजारी व डी.डब्लू 02 महावीर के शपथ पत्र पेश किये है। जिनसे भी वादीगण के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई है। उपरोक्त दोनो ग्वाह जिरह में स्तर नहीं रहे है। न तो उपरोक्त आराजी के नम्बरान के बारे मे बताकर गये है। साथ ही वादीगण की और प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश 10 व 11 को देखकर इस तथ्य को स्वीकार करके गये है। की प्रर्दश 10 के खाता संख्या 106 में नत्थू, घीसा पिसरान जोखी दर्ज है। जिसका खसरा नम्बर 234 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा दर्ज है जिसमें हमारे बुजुर्गान का नाम दर्ज नहीं है। इस प्रकार मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को स्वीकार कर इस कथन की ताईद की है। की साबिक आराजी में हमारे बुजुर्ग का नाम दर्ज नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से किसी प्रकार से यह साबित नहीं कर पाये है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी में भू–प्रबन्ध सम्वत 2021 में गाडा पुत्र शिवनारायण हिस्सा 1/4 किस प्रकार दर्ज हुआ है। जब प्रतिवादीगण इस तथ्य को साबित ही नहीं कर पाये है। कि उनके बुजुर्ग गाडा पुत्र शिवनारायण हिस्सा 1/4 किस प्रकार दर्ज हुआ है। जबकि प्रतिवादीगण ने अपने बुजुर्ग के नाम उक्त इन्द्राजात को वंशावली के आधार पर सहीं होना बताया है। जिसके संबंध में सम्वत 2021 के पूर्व की कोई जमाबन्दी पेश नहीं की गई है। वंशावली के आधार पर प्रतिवादीगण को कानूनन कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इस प्रकार गाडा की मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 व उनकी माता रमली देवी के नाम आज दिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसको प्रतिवादीगण यथावत रखवाने के अधिकारी किस प्रकार है। यह प्रतिवादीगण के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाये है। इस प्रकार प्रतिवादीगण तनकी संख्या 03 को अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार समस्त विवेचन के बाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 04. आया वाद वादीगण बेरून मियाद है।

उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण की और से उपरोक्त तनकी के संबंध में न तो कोई मौखिक साक्ष्य अलग से पेश किया है तथा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया

.....**प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

है जिससे यह साबित होता हो की वादीगण को उपरोक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी वाद पत्र में वर्णित दिनांक 15.06.2015 से पूर्व में थी। जबकि कानूनन दुरूस्ती के वाद के लिये कोई मियाद नहीं है। जानकारी दिनांक से ही मियाद अवधि चालू होती है। इस प्रकार उपरोक्त तनकी को प्रतिवादीगण साबित नहीं कर पाये है। इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तैय की जाती है।

तनकी संख्या 05. अनुतोष ?

अतः समस्त विवेचन के बाद वादीगण की और से प्रस्तुत समस्त दस्तावेज व प्रस्तुत कानूनी नजीरों की रोशनी में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आदेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1.78 हैक्टेयर, 327 रकबा 1.77 हैक्टेयर वाके मौजा बसई चौहान तहसील बानसूर मे दर्ज खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा रमली स्त्री गाडा हिस्सा 1/4 को कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 01 लगायत 03 को 1/8 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 04 लगायत 09 को 3/8 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहें। आदेश की पालना में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 113/2015

दायर दिनांक :– 09.07.2015

निर्णय दिनांक :– 25.03.2022

उनवान

01. इन्द्राज पुत्र नत्थूराम जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 (.....**मृतक**)

1/1 पतासी पुत्री इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/2 ग्यारसाराम पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/3 पांचूराम पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/4 संतरा पुत्री इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/5 कैलाश पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/6 पतराम पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/7 रत्तीराम पुत्र केहरसिंह पौत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/8 नरेश पुत्री केहरसिंह पौत्री इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/9 रामवतार पुत्र केहरसिंह पौत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/10 नृसिंह पुत्र केहरसिंह पौत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/11 चिडिया बेवा केहरसिंह पुत्रवधु इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/12 भम्भो पुत्री गिंदो दोहिती इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/13 रेशम पुत्री गिंदो दोहिती इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/14 चिडिया पुत्री गिंदो दोहिती इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/15 मंजू पुत्री गिंदो दोहिती इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/16 धर्मपाल पुत्र गिंदो दोहिता इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/17 अनिता पुत्री विश्राम पौत्री इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/18 सुनीता पुत्री विश्राम पौत्री इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/19 सुनील पुत्र विश्राम पौत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

1/20 आरती पुत्री विश्राम पौत्री इन्द्राज नाबालिग जरिये माता विमला देवी पत्नी विश्राम जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

1/21 बिमला देवी बेवा पत्नी विश्राम पुत्रवधु इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर

02. रामस्वरूप पुत्र नत्थूराम जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

03. ख्यालीराम पुत्र नत्थूराम जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

04. बन्शी पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

05. देवकरण पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

06. छीतर पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 (.....मृतक)

6/1 रामसिंह पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

6/2 लालाराम पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

6/3 धोली पुत्री छीतर जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

6/4 कमोद पुत्री छीतर जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

6/5 केसरी देवी पत्नी छीतर जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

07. जयमल पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

08. बीरबल पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

09. पूर्णमल पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

——वादीगण

बनाम

01. बुधराम पुत्र गाडाराम जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

02. हजारी पुत्र गाडाराम जाति गुर्जर निवासी बधीन तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

03. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बहैसियत लैण्डहोल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

04. श्रीमान उप पंजीयक महोदय बानसूर जिला अलवर राज0

05. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैक शाखा बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर राज0

——असल प्रतिवादीगण

06. रामसिंह पुत्र धन्सीराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

07. पतराम पुत्र धन्सीराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

08. रामकरण पुत्र धन्सीराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

09. दीनदयाल पुत्र धन्सीराम जाति गुर्जर निवासी क्यारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

—— तरमीमी प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)/

वाद इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राजात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागणः–

01. वादीगणः– श्री अनिल कुमार यादव एड0

02. प्रतिवादीगणः– ब्रहमप्रकाश यादव एड0

पर्चा डिक्री

अतः वादी का वाद डिक्री कर आदेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1.78 हैक्टेयर, 327 रकबा 1.77 हैक्टेयर वाके मौजा बसई चौहान तहसील बानसूर मे दर्ज खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा रमली स्त्री गाडा हिस्सा 1/4 को कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 01 लगायत 03 को 1/8 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 04 लगायत 09 को 3/8 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)